न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 398 / 2015
दायर दिनांक : 09 / 09 / 2015
निर्णय दिनांक : 21 / 11 / 2024

उनवान

1. मु. हगामी विधवा श्री देवीलाल ब्राहम्ण निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
2. कन्हैयालाल पिता देवीलाल ब्राहम्ण निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
3. मु. गंगाबाई पिता देवीलाल ब्राहम्ण निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
4. प्रेमीबाई पिता देवीलाल ब्राहम्ण निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
5. मु. कंचनबाई पिता देवीलाल ब्राहम्ण निवासी निलोद तहसील भूपालसागर – मृतक के बजाए
   5–1 विनोद पुत्र कंचनबाई ब्राहम्ण निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
   5–2 सीमा पुत्री कंचनबाई ब्राहम्ण निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
   5–3 दुर्गाशंकर पुत्र कंचनबाई ब्राहम्ण निवासी निलोद तहसील भूपालसागर

वादी

बनाम

1. मांगीलाल पिता नन्दलाल ब्राहम्ण निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
2. मु. केसर पिता नन्दलाल ब्राहम्ण निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
3. मु. सुखी पिता नन्दलाल ब्राहम्ण निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
4. मु.लेहरी विधवा मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
5. तहसीलदार, भूपालसागर

प्रतिवादी

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः– 1. श्री कृष्णगोपाल झंवर, अधिवक्ता वादी

: निर्णय :

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् इश्तकरार हक, इन्द्राज दुरूस्ती, खातेदारी अधिकार की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अंर्तगत धारा–88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है :

यह है कि वादीगण पिता पुत्र है व शामिल शरीक रहते है। पक्षकारान का सजरा इस प्रकार है रतनलाल (फौत), देवीलाल – वादी पुत्र नन्दलाल – पुत्र फौत गोद गया खुमराज के, मांगीलाल प्र.सं. 1, केसर पुत्री प्र.सं. 2, मु. लेहरी विधवा प्र.सं. 4, मु. सुखी पुत्री प्र.सं. 3। मृतक रतनलाल के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात ग्राम निलोद में खाता सं. 336 के आराजी सं. 518, 521, 1618, 1619, 1621, 1626, 1628, 1629, 1630, 1631, 1639, 1699, 1706, 1740, 1741, 1744, 1780, 1783, 1782, 1784, 1785, 1786 व 2914/1743 कुल किता 23 कुल रकबा 5.28 है. व इसी ग्राम निलोद में खाता सं. 328 में आ.सं. 492, 1620, 1651, 1745 किता 4 रकबा 0.94 है. स्थित है। मृतक रतनलाल के पुत्र नन्दलाल के पुत्र नन्दलाल को खुमराज के गोद रतनलाल के जीवनकाल में ही रख दिया था जिससे खेमराज का विरासत का नामान्तरण भी मृतक नन्दलाल के नाम दर्ज हो चुका है जिससे रतनलाल की विरासत में मृतक का कोई हक व अधिकार नहीं है व रतनलाल का एकमात्र वारिस देवीलाल वादी सं. 1 ही है व कुल आराजियात पर काबिज है मगर राजस्व कर्मचारियों की गलती से विरासत का नामान्तरण 1/2 वादी सं. 1 ही है व कुल आराजियात पर काबिज है मगर राजस्व कर्मचारियों की गलती से विरासत का नामान्तरण 1/2 वादी देवीलाल व 1/2 प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4 के नाम दर्ज कर दिया जबकि उक्त वर्णित आराजियात में प्रतिवादी सं. 1, 2, 3, 4 के मृतक पिता श्री नन्दलाल की विरासत का अधिकार समाप्त होकर खुमराज का गोदपुत्र बन जाने से खुमराज का वारिस हो गया व खुमराज की विरासत का खाता भी मृतक नन्दलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है इस प्रकार उक्त वर्णित कारणों से दावे की कॉलम सं. 3 में वर्णित सारी आराजियात अकेले वादी देवीलाल के खातेदारी की होकर कब्जे काश्त की है उक्त आराजियात में मृत नन्दलाल का कोई विरासती हक शेष नहीं रहने से वादी उक्त आराजियात में दर्ज प्रतिवादी सं. 1, 2, 3, 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar
Date: 2025.03.06 10:45:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

का नाम भी राजस्व रिकार्ड से विलोपित फरमा दावे की कॉलम सं. 3 में वर्णित आराजियात सारी वादीगण के खाते में दर्ज कराने का अधिकारी है व मृतक रतनलाल का एकमात्र वारिस देवीलाल ही है, इस बाबत घोषण कराने का अधिकारी है, इस हेतु यह दावा पेश किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4 राजस्व रिकार्ड का नाजायज फायदा उठा उक्त वर्णित कॉलम सं. 3 में वर्णित आराजियात को अन्यत्र हस्तान्तरित व वादीगणों के एकमात्र कब्जे में हस्तक्षेप करना चाहते है, जिससे प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबंद किया जाना आवश्यक है। वादीगणों का दावा स्वीकार फरमा दावे की कॉलम सं. 3 में वर्णित कुल आराजियात के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4 का नाम हटाया जावे व उक्त वर्णित कुल आराजियात को वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की घोषित फरमाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री एम.एल. जाट ने अधिकार पत्र पेश किया। वकील प्रतिवादी द्वारा पर्याप्त अवसर लिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं किया जाने दिनांक 02.01.2024 को जवाब बंद किया गया। कार्यवाही के दौरान देवीलाल की मृत्यु हो जाने से मृतक के बजाय वादीगणों का नाम कायम किया गया। वादी की तरफ से जबानी साक्ष्य में वादिया पी.डब्ल्यू. 1 मु. गंगाबाई का शपथ पत्र पेश हुआ एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1, 2 3 वादीगणों की ओर से पेश किये गये।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई, जिनके द्वारा दावे में वर्णित तथ्यों को दोहरान किया। न्यायालय के समक्ष यह बिंदु विचारणीय है मृतक रतनलाल की विरासत से नन्दलाल के खुमराज के गोद चले जाने से क्या वादी अकेला रतनलाल का उत्तराधिकारी है। वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य गंगाबाई के शपथपत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 3 से नन्दलाल मुतबन्ना खुमराज खातेदार होना अंकित है एवं प्रदर्श 3 के कॉलम सं. 12 में नन्दलाल मुतबन्ना खुमराज की विरासत प्रतिवादी सं. 1, 2, 3, 4 के नाम पर अंकित है। उक्त दस्तावेज राजस्व रिकार्ड है धारा 140 एल.आर.एक्ट से उक्त दस्तावेज सही होने की उपधारणा की जावेगी। चूंकि प्रतिवादी की ओर से वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 3 दस्तावेज का कोई खण्डन एवं वादी के सहशपथ बयानों का भी कोई खण्डन नहीं किया गया है इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत जुबानी एवं दस्तावेजी साक्ष्य से नन्दलाल का खुमराज का गोदपुत्रहोना सिद्ध होता है, जिससे रतनलाल की विरासत में नन्दलाल को कोई अधिकार किसी भी प्रकार से प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 व 2 से वादी देवीलाल पिता श्री रतनलाल का 1/2 हिस्सा ही राजस्व रिकार्ड में अंकित है व बकाया 1/2 हिस्सा नन्दलाल के वारिसान प्रतिवादी सं. 1, 2, 3 4 का दर्ज है, जो दुरूस्त होने योग्य है। उक्त वर्णितानुसार मृतक नन्दलाल खुमराज का दत्तक पुत्र है जिससे रतनलाल की विरासत में उसका कोई हक व अधिकार नहीं है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में वर्णित तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्य सामग्री दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वकील वादी की बहस पर मनन किया। वादीगण द्वारा वाद के संलग्न दस्तावेजों से वादर्णित आराजियात, वादीगण के शपथ–पत्र, उक्त दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के शपथ–पत्र व वकील उभय की बहस के आधार पर वादीगण का वाद अंर्तगत धारा–88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। ग्राम निलोद की खाता सं. 328 में आ.सं. 492, 1620, 1651, 1745 किता 4 रकबा 0.94 है. में से प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4 का कोई हक व अधिकार नहीं है व उक्त कुल आराजियात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे से प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4 का नाम हटाया जाने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबंद किया जाता है कि ग्राम निलोद में खाता सं. 336 के आराजी सं. 518, 521, 1618, 1619, 1621, 1626, 1628, 1629, 1630, 1631, 1639, 1699, 1706, 1740, 1741, 1744, 1780, 1783, 1782, 1784, 1785, 1786 व 2914/1743 कुल किता 23 कुल रकबा 5.28 है. व इसी ग्राम निलोद में खाता सं. 328 में आ.सं. 492, 1620, 1651, 1745 किता 4 रकबा 0.94 है. पर से वादीगणों को बेदखल नहीं करे व उनके कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार व्यवधान उत्पन्न नहीं करें एव न ही किसी से करावें। तदानुसार डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Golra
Date: 2025.03.06 10:45:27 IST
Reason: SelfAttested

(पुनीत कुमार गोलड़ा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर